न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

मुकदमा सं.	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुरेन्द्र कुमार/सुरजाराम विभा CRPC-2023/185	

15/09/2025 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील प्रतिवादी ने आदिनांक तक विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की हैं जबकि पूर्व में अन्तिम अवसर दिया जा चुका हैं। जिस कारण प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नही करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि वकुलाय उभयपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नही की हैं। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:52:00 IST
Reason: SelfAttested

(उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.) — मुहर)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिकी मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. सुरेन्द्र कुमार जाखड़ पुत्र श्री फूलचन्द जाति जाट निवासी ढाणी नई कोठी तन डेहरा बरसिंहवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी ढाणी नई कोठी तन गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज. वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 127 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री देवेन्द्र चौधरी एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री जसवन्त सिंह मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।** ....बाबत..खर्चा इस मुकदमें .निज.....................मुबलिग...का अदा करें। के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

आज **तारीख 15 माह 09 सन् 2025** को जारी की गई।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

दस्तखत.........
ओहदा............

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:52:00 IST
Reason: SelfAttested